

चतितन शविरि

चरचा में क्योँ?

महलिा एवं बाल वकिस मंत्रालय (MoWCD) 10 से 12 जनवरी, 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चतितन शविरि का आयोजन कर रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश भर में महलिाओं और बच्चों के वकिस और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर चरचा की जाएगी और उनके लिये सर्वोत्तम समाधान निकाले जाएँगे।

मुख्य बदि

- केंद्रति सत्रः
- **मशिन वात्सलयः** बेहतर बाल देखभाल संस्थानों, पालन-पोषण देखभाल, गोद लेने और पश्चात देखभाल के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ाना।
- **मशिन शक्तिः** महलिा सुरक्षा, बाल वविाह की समस्या का समाधान तथा **SHe-Box पोर्टल** सहति प्रौद्योगिकी के माध्यम से महलिाओं को सशक्त बनाना।
- **मशिन सकषम आँगनवाडी और पोषण 2.0:** पोषण, शक्ति, स्वास्थ्य और जागरूकता सेवाओं के केंद्र के रूप में आँगनवाडी केंद्रों को प्रबल करना।
- **खुली चरचा और सहयोगात्मक समस्या समाधानः**
- शविरि में चुनौतियों का समाधान करने तथा नवीन समाधानों को साझा करने के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्त्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की सुवधि प्रदान की जाएगी।
- प्रमुख वषियों में **आँगनवाडी केंद्रों में सुधार**, बाल कल्याण कार्यक्रमों में तेज़ी लाना तथा महलिा सशक्तीकरण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

SHe-Box पोर्टल

- इसे **कार्यस्थल पर महलिाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविरण) अधनियम, 2013** के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये महलिा एवं बाल वकिस मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च कया गया था।
 - पोर्टल को शकियतकरत्ता के वविरण को छपाने तथा गोपनीयता सुनश्चिति करने के लिये डज़ाइन कया गया है तथा केवल **आंतरकि समति (IC)** या स्थानीय समति (LC) के अध्यक्ष को ही इस जानकारी तक पहुँच होगी।
- शकियत पीड़ति महलिा या उसकी ओर से कसिी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है। इस प्रकरया में काम की स्थति, नाम, फोन नंबर और ईमेल जैसी बुनयिादी जानकारी की आवश्यकता होती है।
 - यदि कार्यस्थल का IC या LC पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शकियतें स्वचालति रूप से काररवाई के लिये अग्रेषति कर दी जाती हैं।
- पोर्टल में वभिन्न प्रशासनकि स्तरों पर **नोडल अधिकारियों के लिये एक मॉनटिरगि डैशबोर्ड शामिल है**, जसिसे दर्ज, नपिटाई गई और लंबति शकियतों की संख्या पर नज़र रखी जा सके।
 - अधनियम के तहत जाँच के लिये **90 दिन का समय निर्धारति है।**